न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 69 / 2021 तारीख दायर :–06.10.2021 दिनांक निर्णय :–3/11/.2021

2021/115

निर्णय

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.मुसद्धी पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2.बिजेन्द्र पुत्र मनोहरलाल जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

3.खेमराज पूत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्व नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपो इस आश्य की पेश की गई कि गैरसायलान मुसद्धी पुत्र मोहरपाल, बजेन्द्र, खेमराज पुत्र मनोहरलाल जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्र नयागाव बोलका के आ0ख0न0 32 / 0.45 व 30 / 588 / 1.00 में से क्रमशः रकबा 0.25, 0.50 हे किस्म चारागाह बारानी–3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रम कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट किया जाकर गैरसायलान को जर्ये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से निय तारीख पेशी पर मुसद्धी पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजग जिला अलवर उपस्थित आया जिसको जवाब हेतु समय चाहे जाने समय दिया गया। इस बावजूद भी गैरसायलान की ओर से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 1+2=3 रू का 50 गुणा राशि 150/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाक तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिरदावर थानाराजाजी/पटवारी हल नयागाव बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर कम होकर बाद तकलीम लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनवाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 23 पर चा. पै. 150/-
राशि कायम किये गये।